

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली.....
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बाली.....

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमान्..... व मू.अ.नि. श्रीमान्..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीमान्..... तहसील बाली..... व जिला..... की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 12 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उपला भीमाणा	12	कुरा, मंग्रा, मीहन रणछा पिता मोगा गंगा वल्द रता	कुरशाम, मोगाराम मौवनाराम, रणछाराम पिता गोगाराम शुद्ध किये जाने तथा गंगा वल्द रता का नाम विलोपित किया जाता है।



(A)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अदालत
 बाली (जिला अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :- के.ए. / 2024 / 255-258

दिनांक :- 04-03-2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोगाराम पुत्र गोगाराम गरासिया नि. - उपला भीमाणा का सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।
4. पटवारी हल्का भीमाणा

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 बाली (जिला अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
